न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 73/2017

1 खेमचन्द पुत्र पोकर
2 रघुवीर पुत्र पोकर
3 चिरंजीलाल पुत्र पोकर समस्त जाति खाती निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हेमराज पुत्र पोकर
2 रणवीर पुत्र पोकर जाति खाती निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.09.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी बुहाना मु. उनवानी हेमराज वगै. बनाम खेमचन्द वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 61/2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 93 रकबा 6.14 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम रायली तहसील बुहाना व खसरा नम्बर 97 रकबा 2.99 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम रायली तहत तहसील बुहाना में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को जमीन हाल खसरा नम्बर 93 रकबा 6.14 हैक्टेयर के बाबत अन्तरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की निर्माण कार्य नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.09.2017 को ताफैसला वाद पुष्टि कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय जैर बहस पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचाराधीन निर्णय कानून के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि... सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

मुताबिक निर्णय की श्रेणी में नही आता। निर्णय जैर बहस कानून से अलग से टाईप किया जाकर सुनाया जाना चाहिये। कानून के निर्णय जैर बहस फर्द अहकाम पर नहीं किया जा सकता। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय के समय निर्णय जैर बहस में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या कर तर्क एवं निष्कर्ष सहित निर्णय पारित करना चाहिये। निर्णय बोलता होना चाहिये विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.05.2017 को अपीलान्टस को बिना सुने जो निर्णय पारित किया उसी को दिनांक 13.09.2017 को कन्फर्म किया है। जबकि अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष कस्टेस्टेड जवाब दिया है एंव कन्टेस्टेड बहस की है। आदेश दिनांक 31.05.2017 को दौराने वाद कन्फर्म करने बाबत अपीलान्टस की कोई स्वीकृति नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एंव दस्तावेज का अवलोकन करते हुये प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं की विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुये विचाराधीन निर्णय अलग से टाईप करवाकर पक्षकारों के नाम वल्दीयत जाति एवं निवासी सहित विस्तृत रूप से अलग से टाईप करवाकर पारित करना चाहिये था। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय राजस्व कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों के मुताबिक नहीं होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने अपने दावा में यह लिखा है कि पक्षकारान ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर रखा है। तथा रेस्पोडेन्ट ने यह भी लिखा है कि जमीन के बिना विधिवत विभाजन के उसके हिस्से में अपीलान्टस निर्माण करना चाहते है। अपीलान्टस विवादित जमीन के सह खातेदार है। कानून से सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वैसे भी कानून से एक खातेदार अपने खातेदारी के 50 वें हिस्से तक फसल सुरक्षा एवं कृषि यंत्र एवं फसल की सुरक्षा के लिये 50 वें हिस्से तक बिना किसी परमिशन व कन्वर्जन के निर्माण कर सकता है। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट के हक में

पदेन राजस्व अपील अधि... सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

क्यों व कैसे है विचाराधीन निर्णय स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज अविभाजित भूमि है। पक्षकारों के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन से पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य करने से पक्षकारों में वादबाहूल्यता होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज अविभाजित भूमि है। पक्षकारों के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन से पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य करने से पक्षकारों में वादबाहूल्यता होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर